

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री रोहताश कुमार, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि रतनादेसर - चूरु जिनकी जन्म तिथि:- 08.07.1972 ने दिनांक 02.07.2018 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 02.10.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है ।

रोहताश कुमार, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि रतनादेसर - चूरु प्रन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएं पूर्ण करने पर संबंधी शर्त पूर्ण करते है । अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत इनकी दिनांक 02.10.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री रोहताश कुमार के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

आइ.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018-19

दिनांक- 25-07-2018

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) बीकानेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चूरु
4. प्रधानाचार्य, राउमावि रतनादेसर - चूरु
5. श्री रोहताश कुमार, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि रतनादेसर - चूरु
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्रीमती शशि गोयल, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि (मल्टीपपर्ज) श्रीगंगानगर जिनकी जन्म तिथि:- 15.06.1959 ने दिनांक 28.04.2018 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है।

श्रीमती शशि गोयल, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि (मल्टीपपर्ज) श्रीगंगानगर प्रन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ पूर्ण करने पर संबंधी शर्त पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत इनकी दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती शशि गोयल के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आइ.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018-19

दिनांक- 25-07-2018

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) बीकानेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्रीगंगानगर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि (मल्टीपपर्ज) श्रीगंगानगर
5. श्रीमती शशि गोयल, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि (मल्टीपपर्ज) श्रीगंगानगर
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कामिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर